| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर<br>राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 60/2024 (2024/257)<br>अनवान लादूराम वगैरा बनाम लालाराम वगैरा<br>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10.03.2026 | पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि खसरा नम्बर 166 रकबा 5.4309 हैक्टयर अर्थात 33 बीघा 11 बिस्वा भूमि वाके ग्राम धींगाणा पटवार क्षेत्र खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जिला जोधपुर में आई हुई है। चुंकी मूल वाद संख्या 83/2024 अनवान लादूराम वगैरा बनाम लालाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 10.03.2026 को प्राथमिक डिक्री आदेश मय डिक्री पर्चा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही होना उचित प्रतीत नहीं होता है।<br>अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि खसरा नम्बर 166 रकबा 5.4309 हैक्टयर अर्थात 33 बीघा 11 बिस्वा भूमि वाके ग्राम धींगाणा पटवार क्षेत्र खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जिला जोधपुर में उभयपक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक बैचान हस्तान्तरण नहीं करें एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,<br>लूणी | |